

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ,

दिनांक 06 मई, 2016

विषय :- डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइन्स विषय को लिया गया हो।
- (2) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों/परिषदों की सूची संलग्न है, साथ ही ऐसी संस्थाएँ, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं, की सूची भी संलग्न है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2106/3/1/2015-का-2(1)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
- 2) निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
- 3) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
- 4) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 8) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 9) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
- 10) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 11) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
- 12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(A)

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)

विशेष सचिव।

4

संख्या-37/2015/463/47-का-3-2015-13/16/2015

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 26 मई, 2015

विषय:-डी0ओ0ई0ए0सी0सी0(डोयक) सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र की समकक्षता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या-123/परीक्षा अनुभाग/आयोग/2015/06/2015, दिनांक 24.02.2015 के संदर्भ में कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु डी0ओ0ई0ए0सी0सी0(डोयक) सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र की समकक्षता के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णय से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस विषय लिया गया हो।
 - (2) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा।
2. अनुसंधान है कि कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों/परिषदों आदि का विवरण संलग्न है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/47-का-3-2015-13/16/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि,

1. कार्मिक अनुभाग-2 को उपर्युक्तानुसार शासनादेश निर्गत करने हेतु कार्मिक अनुभाग-3 की सुसंगत पत्रावली पर लिये गये निर्णय से संबंधित पृष्ठों की छायाप्रतियों के साथ प्रेषित।
2. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त कोबसे (काउंसिल फार बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन) द्वारा उपलब्ध करायी गई विधि द्वारा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची:-

- (1) बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
- (2) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन आन्ध्र प्रदेश।
- (3) आसाम हायर सेकेन्डरी एजुकेशन काउंसिल।
- (4) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, आसाम।
- (5) बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड।
- (6) बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड।
- (7) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन।
- (8) छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन।
- (9) छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल।
- (10) छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड, रायपुर।
- (11) छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड।
- (12) काउंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स।
- (13) दयाल बाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी)।
- (14) गोवा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजुकेशन।
- (15) गुजरात सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड।
- (16) बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा।
- (17) एच0पी0बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
- (18) जे0एण्ड के0 स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
- (19) आसखण्ड एकेडमिक काउंसिल, रांची।
- (20) गवर्नमेन्ट आफ कर्नाटक डिपार्टमेन्ट आफ प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन।
- (21) कर्नाटक सेकेन्डरी एजुकेशन एक्जामिनेशन बोर्ड।
- (22) केरल बोर्ड आफ पब्लिक एक्जामिनेशन।
- (23) केरल बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन।
- (24) महाराष्ट्र स्टेट आफ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर एजुकेशन।
- (25) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश।
- (26) एम0पी0स्टेट ओपेन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेन्ट गवर्नमेन्ट आफ एम0पी0।
- (27) महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान(डिपार्टमेन्ट आफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेन्ट आफ एम0पी0)।
- (28) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, मणिपुर इम्फाल।
- (29) काउंसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- (30) मेघालय बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन।
- (31) मिजोरम बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, एजवल।
- (32) नागालैण्ड बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
- (33) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली।
- (34) काउंसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, उड़ीसा।
- (35) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, उड़ीसा।

Bla m

- (36) पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
- (37) बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, राजस्थान, अजमेर।
- (38) राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
- (39) तमिलनाडु स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एक्जामिनेशन्स एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एक्जामिनेशन्स, तमिलनाडु।
- (40) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन।
- (41) यू0पी0बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजुकेशन, इलाहाबाद।
- (42) यू0पी0से0 संस्कृत एजुकेशन काउंसिल, लखनऊ।
- (43) बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, उत्तराखण्ड।
- (44) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन।
- (45) वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन।
- (46) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ प्राइमरी एजुकेशन।
- (47) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन।
- (48) वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ रबिन्द्र ओपन स्कूलिंग।
- (49) बनस्थली विद्यापीठ।
- (50) ए0पी0ओपन स्कूल सोसाइटी, गवर्नमेन्ट आफ आन्ध्र प्रदेश।
- (51) बिहार बोर्ड आफ ओपन स्कूल एण्ड एक्जामिनेशन।

(ख) ऐसी परीक्षा संस्थाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं:-

- (1) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा।
- (2) बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा।
- (3) गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा की अधिकारी परीक्षा।
- (4) बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन मध्य भारत ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा।
- (5) भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत।
- (6) भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
- (7) बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन की हायर सेकेण्डरी प्राविधिक परीक्षा।
- (8) माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा।

Rloan


(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त कोबसे (काउन्सिल फार बोर्ड आफ सेकेन्दरी एजुकेशन) द्वारा उपलब्ध करायी गई विधि द्वारा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची:-

- 1) बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
- 2) बोर्ड आफ सेकेन्दरी एजुकेशन आन्ध्र प्रदेश।
- 3) असम हायर सेकेन्दरी एजुकेशन, काउंसिल।
- 4) बोर्ड आफ सेकेन्दरी एजुकेशन, असम।
- 5) बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड।
- 6) बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड।
- 7) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्दरी एजुकेशन।
- 8) छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेन्दरी एजुकेशन।
- 9) छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल।
- 10) छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड, रायपुर।
- 11) छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड।
- 12) काउंसिल फार द इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स।
- 13) दयाल बाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी)।
- 14) गोवा बोर्ड आफ सेकेन्दरी एण्ड हायर सेकेन्दरी एजुकेशन।
- 15) गुजरात सेकेन्दरी एण्ड हायर सेकेन्दरी एजुकेशन बोर्ड।
- 16) बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा।
- 17) एच0पी0बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
- 18) जे0एण्ड के0 स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
- 19) झारखण्ड एकेडमिक काउंसिल, रांची।
- 20) गवर्नमेन्ट आफ कर्नाटक डिपार्टमेन्ट आफ प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन।
- 21) कर्नाटक सेकेन्दरी एजुकेशन एक्जामिनेशन बोर्ड।
- 22) केरल बोर्ड आफ पब्लिक एक्जामिनेशन।
- 23) केरल बोर्ड आफ हायर सेकेन्दरी एजुकेशन।
- 24) महाराष्ट्र स्टेट आफ बोर्ड आफ सेकेन्दरी एण्ड हायर सेकेन्दरी एजुकेशन।
- 25) बोर्ड आफ सेकेन्दरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश।
- 26) एम0पी0स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड।
- 27) महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान(डिपार्टमेन्ट आफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेन्ट आफ एम0पी0)
- 28) बोर्ड आफ सेकेन्दरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- 29) काउंसिल आफ हायर सेकेन्दरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- 30) मेघालय बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
- 31) मिजोरम बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, आइजल।

- 32) नागालैण्ड बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
- 33) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नोयडा, उत्तर प्रदेश।
- 34) काउंसिल आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा।
- 35) बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा।
- 36) पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
- 37) बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, राजस्थान, अजमेर।
- 38) राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
- 39) स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एक्जामिनेशन्स एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एक्जामिनेशन्स, तमिलनाडु।
- 40) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन।
- 41) यू0पी0बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजुकेशन, इलाहाबाद।
- 42) यू0पी0 सेकेण्डरी संस्कृत एजुकेशन काउंसिल, लखनऊ।
- 43) बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, उत्तराखण्ड।
- 44) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन।
- 45) वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन।
- 46) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ प्राइमरी एजुकेशन।
- 47) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन।
- 48) वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ रबिन्द्र ओपन स्कूलिंग।
- 49) बनस्थली विद्यापीठ।
- 50) ए0पी0ओपन स्कूल सोसाइटी, गवर्नमन्ट आफ आन्ध्र प्रदेश।
- 51) बिहार बोर्ड आफ ओपन स्कूलिंग एण्ड एक्जामिनेशन।

(ख) ऐसी परीक्षा संस्थाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं:-

- 1) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा।
- 2) बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा।
- 3) गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा की अधिकारी परीक्षा।
- 4) बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन मध्य भारत, ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा।
- 5) भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत।
- 6) भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7) बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन की हायर सेकेण्डरी प्राविधिक परीक्षा।
- 8) माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा।


(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 23 सितम्बर, 2016

विषय:- डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 03/06 मई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था :-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइन्स विषय को लिया गया हो।
- (2) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसी समस्त राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों, जिन पर, डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी (परिवर्तित नाम NIELIT - National Institute of Electronics and Information Technology) द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र अपेक्षित है, के संदर्भ में भी उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित व्यवस्था प्रभावी होगी। तत्क्रम में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों/परिषदों की सूची पुनः संलग्न की जा रही है, साथ ही ऐसी संस्थाएँ, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं, की सूची भी संलग्न की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या-10/2016/3/1/2015(1)-का-2-तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 10/2016/3/1/2015-का-2, दिनांक: 23 सितम्बर, 2016 का संलग्नक :-

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त कोबसे(काउन्सिल फार बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन) द्वारा उपलब्ध करायी गई विधि द्वारा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची:-

1. बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
2. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन आन्ध्र प्रदेश।
3. असम हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, काउंसिल।
4. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, असम।
5. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड।
6. बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड।
7. सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन।
8. छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन।
9. छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल।
10. छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड, रायपुर।
11. छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड।
12. काउंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स।
13. दयाल बाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी)।
14. गोवा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजुकेशन।
15. गुजरात सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड।
16. बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा।
17. एच0पी0बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
18. जे0 एण्ड के0 स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
19. झारखण्ड एकेडमिक काउंसिल, रांची।
20. गवर्नमेन्ट आफ कर्नाटक डिपार्टमेन्ट आफ प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन।
21. कर्नाटक सेकेन्डरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड।
22. केरल बोर्ड आफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
23. केरल बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन।
24. महाराष्ट्र स्टेट आफ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजुकेशन।
25. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश।
26. एम0पी0स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड।
27. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान(डिपार्टमेन्ट आफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेन्ट आफ एम0पी0)
28. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
29. काउंसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
30. मेघालय बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
31. मिजोरम बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, आइजल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

32. नागालैण्ड बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
33. नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नोयडा, उत्तर प्रदेश।
34. काउंसिल आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा।
35. बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा।
36. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
37. बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, राजस्थान, अजमेर।
38. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
39. स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एक्जामिनेशन्स एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एक्जामिनेशन्स, तमिलनाडु।
40. त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन।
41. यू0पी0बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजुकेशन, इलाहाबाद।
42. यू0पी0 सेकेण्डरी संस्कृत एजुकेशन काउंसिल, लखनऊ।
43. बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, उत्तराखण्ड।
44. वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन।
45. वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन।
46. वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ प्राइमरी एजुकेशन।
47. वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन।
48. वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ रबिन्द्र ओपन स्कूलिंग।
49. बनस्थली विद्यापीठ।
50. ए0पी0ओपन स्कूल सोसाइटी, गवर्नमन्ट आफ आन्ध्र प्रदेश।
51. बिहार बोर्ड आफ ओपन स्कूलिंग एण्ड एक्जामिनेशन।

(ख) ऐसी परीक्षा संस्थाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, 30प्र0, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं:-

1. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा।
2. बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा।
3. गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा की अधिकारी परीक्षा।
4. बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन मध्य भारत, ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा।
5. भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत।
6. भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन की हायर सेकेण्डरी प्राविधिक परीक्षा।
8. माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 05 जुलाई, 2018

विषय:- डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (डोयक) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक एवं ऐसी समस्त राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों, जिन पर चयन हेतु डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (डोयक) सोसाइटी (परिवर्तित नाम NIELIT - National Institute Of Electronics And Information Technology) द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र अपेक्षित है, की समकक्षता के सम्बन्ध में समसंख्यक शासनादेश दिनांक 03/06 मई, 2016 एवं 23 सितम्बर, 2016 निर्गत किये गये हैं।

2. समकक्षता के सम्बन्ध में हो रही व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत सी.सी.सी. प्रमाण पत्र एवं उसकी समकक्ष अर्हता को और स्पष्ट करने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कम्प्यूटर में उच्च योग्यता धारी यथा-कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पी.जी.डी.सी.ए., बी.सी.ए., एम.सी.ए. तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री (बी.ए., बी.एस.सी., बी-टेक, एम.एस.सी., एम.बी.ए.) में कम्प्यूटर एक विषय के रूप अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रश्नगत पदों के चयन हेतु अर्ह माना जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2018/3/1/2015(1)-का-2 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव के सूचनार्थ ।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्याक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, 30प्र0।
9. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
10. रजिस्ट्रार जनरल, मा.उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
11. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
12. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
13. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द्र मोहन चिञ्जशी
विशेष सचिव।